



299



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2012 जिला-अशोक नगर

- 1- कड़ौरी पुत्र कोसा चमार
- 2- गीताबाई पत्नी कड़ौरी चमार
- 3- अमना पुत्र पुन्ना चमार
- 4- नथियाबाई पत्नी अमना चमार
- 5- देवीलाल पुत्र मुन्ना चमार
- 6- दौलतबाई पत्नी देवीलाल चमार

निवासीगण- ग्राम नारायणपुर (अथाईखेड़ा)  
तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- अमर सिंह पुत्र रूपा बंजारा
- 2- लाखन सिंह पुत्र रामसिंह बंजारा
- 3- नरसिंह पुत्र मलोरा बंजारा
- 4- करतार सिंह पुत्र मुंशी बंजारा
- 5- मोहन सिंह पुत्र मान सिंह बंजारा

निवासीगण- ग्राम श्यामापुर (अथाईखेड़ा)  
तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

- 6- लालू पुत्र सुखलाल
- 7- राजकुमारी उर्फ मुन्नीबाई पत्नी लालू

निवासीगण- ग्राम नारायणपुर (अथाईखेड़ा)  
तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग मुंगावली  
जिला-अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/2003-04 अपील  
में पारित आदेश दिनांक 09.03.2005 के विरुद्ध मध्यप्रदेश  
भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

R. 3389-1112

श्री. चमरे 3/10/12 को

द्वारा आज दि. 3/10/12 को

प्रस्तुत

कलक ऑफ कर्टि  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
4-15 PM

Chaturvedi  
3/10/12

13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3389-दो/2012

जिला-अशोकनगर

कड़ौरी आदि विरुद्ध अमरसिंह अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3008.2019	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग मुंगावली जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 36/2003-04/अपील में पारित आदेश दिनांक 09.03.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>(3)</p> <p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>	